



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261555
CG-DL-E-11032025-261555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946

No. 135]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

सा.का.नि. 170(अ).—केंद्रीय सरकार, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हज समिति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

नियम 25 (2) में निम्नानुसार;

(i) खंड (क) में, "2,500 रु. से अधिक लेकिन 50,000 रु. से कम मूल्य या राशि" शब्दों या अंकों के स्थान पर, "5,00,000 रु. से अधिक लेकिन 10,00,000 रु. से कम मूल्य या राशि" शब्द या अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "50,000 रु. से अधिक की राशि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "10,00,000 रु. से अधिक की राशि" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. हज-11/1/2020-हज-एमओएमए]

सी.पी.एस. बख्शी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 801(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 369(अ), तारीख 5 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2025

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Haj Committee Rules, 2002, namely:--

at rule 25 (2) as under;

(i) in clause (a), for the words and figures “amount exceeding Rs 2,500 but not exceeding Rs. 50,000”, the words and figures “amount exceeding Rs. 5,00,000 but not exceeding Rs. 10,00,000” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words and figures “amount exceeding Rs. 50,000” the words and figures “amount exceeding Rs. 10,00,000” shall be substituted;

(2) This shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

[F. No. HAJ-11/1/2020-HAJ-MoMA]

CPS BAKSHI, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 801(E), dated the 5th December, 2002 and subsequently amended vide number G.S.R. 369(E), dated 05th July, 2024.